न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार गुप्ता (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 39 / 2020

उनवान

1. लक्ष्मी पत्नी फकीरा
2. नाथी पुत्री फकीरा
3. गंगाराम पुत्र सूजा जाति हरिजन निवासी ग्राम मण्डियानी, नसीराबाद

—— वादीगण :– जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद
2. प्रेम,
3. भोपाल,
4. रघुवीर,
5. रामलाल,
6. रामेश्वर,
7. शैतान,
8. सौराज पि0 मोहन जाति नाई नि0 मण्डियानी, नसीराबाद,
9. रोडी देवी पत्नी देवा नायक जाति नायक नि0 मण्डियानी, नसीराबाद

—— प्रतिवादीगण :– 5, 8, 9 जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत
1 जरियें राज0 पैरोकार, शेष अनुपस्थित

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 136 भू राज0 अधि0 1956

–: निर्णय :– दिनांक :– 25.11.21

अधिवक्ता वादीगण ने उक्त वाद पत्र पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम मण्डियानी की निम्न आराजी वादीगण की पुश्तैनी है :–

चौसाला जमाबंदी		वंर्किग जमाबंदी		हाल जमाबंदी	
813	34–0–0	13[illegible]	4.65	1187	4.65
		1312	0.9[illegible]	1186	0.90

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.07 10:27:35 IST
Reason: SelfAttested

वादी संख्या 1 के ससुर, वादी संख्या [illegible] के पिता सुजा पुत्र बक्षा को वंर्किग खसरा नम्बर 1312 रकबा [illegible]–0 में से 10 [illegible] भूमि नियमन हुयी थी। आवंटन दिनांक से वादीगण उक्त आराजी [illegible] वंर्किग खसरा [illegible] 1312 में से 10–0–0 भूमि का आवंटन प्रतिवादी संख्या 2 से [illegible] पिता मोहन पुत्र नन्दा [illegible] तथा

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

Scanned by CamScanner

–0–0 भूमि का नियमन नाथू पुत्र नाहरा को हुआ था। वादीगण के पूर्वज सुजा पुत्र बक्षा की मृत्यु के बाद उक्त आराजी सुजा के दो पुत्र फकीरा व गंगाराम के नाम नामान्तकरण संख्या 192 दिनांक 22.3.2000 के द्वारा दर्ज हुई जिसमें प्रत्येक का 1/2 हिस्सा दर्ज किया गया। उक्त आराजी पर वंर्किग जमाबंदी में वादी संख्या 1 व 2 के पति/पिता फकीरा व वादी संख्या 3 गंगाराम द्वारा बैंक से ऋण भी लिया गया। जो नामान्तकरण संख्या 246/29.07.02 द्वारा दर्ज है। किन्तु हाल राजस्व अभिलेख तैयार करते समय आराजी मुतनाजा वादीगण के नाम पूर्व राजस्व अभिलेख अनुसार दर्ज करने के बजाय त्रुटिपूर्ण तरीके से सिवायचक दर्ज कर दी गयी। साथ ही वर्तमान सेग्रिगेशन के समय खसरा नम्बर 1187 कुल रकबा 4.65 के 3 नये खसरा नम्बर 1187 रकबा 1.41, 1187/2294 रकबा 1.62 व 1187/2293 रकबा 1.62 दर्ज कर वर्तमान राजस्व मानचित्र में 3 अलग–अलग खसरा नम्बर दर्शित कर दिये हाल राजस्व मानचित्र में 1187/2293 व 1187/2294 को वादीगण के कब्जे काश्त की भूमि में दर्शित कर दिया जो कि गलत है। जबकि वादीगण का कब्जा खसरा नम्बर 1187 में है। अतः वाद पत्र की चरण संख्या 1 में अंकित आराजी का खातेदार वादीगण को घोषित किया जावे। वर्तमान राजस्व मानचित्र में वादीगण के कब्जे काश्त अनुसार तरमीम की जावे। प्रतिवादी को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। राज0 पेशकार ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि हाल खसरा नम्बर 1186 व 1187 के वंर्किग खसरा नम्बर 1312 है वंर्किग जमाबंदी में वंर्किग खसरा नम्बर 1312 का कुल रकबा 34–5–0 था जिसमें से 10–0–0 भूमि नामान्तकरण संख्या 278 दिनांक 25.04.03 से नाथू पुत्र नाहरा के नाम व नामान्तकरण संख्या 279 दिनांक 25.04.03 से 10–0–0 भूमि मोहन पुत्र नन्दा नाई के नाम व चौसाला जमाबंदी व नामान्तकरण संख्या 192 दिनांक 22.03.02 से 10–0–0 भूमि फकीरा व गंगाराम पुत्र सुजा के नाम दर्ज है। नामान्तकरण संख्या 246 दिनांक 29.07.02 द्वारा गंगाराम व फकीरा का हिस्सा स्टेट बैंक आफॅ बीकानेर एण्ड जयपुर के नाम रहन दर्ज हुआ।हाल खसरा नम्बर 1186 रकबा 0.90 सिवायचक दर्ज है तथा खसरा नम्बर 1187 रकबा 4.65 के 3 भाग बन चुके है। खसरा नमबर 1187/2293 रकबा 1.62 रोडी देवी पत्नी देवा, 1187/2294 रकबा 1.62 प्रेम पुत्री मोहन वगै के नाम दर्ज है। तीसरा भाग 1.41 सिवायचक है। आराजी मुतनाजा वर्तमान में सिवायचक होने से वाद खारिज योग्य है।

प्रतिवादी संख्या 5, 8 व 9 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि ग्राम मण्डियानी के चौसाला खसरा नम्बर 813 के वंर्किग खसरा नम्बर 1312 के वर्तमान राजस्व अभिलेख में बने हाल खसरा नम्बर 1187 रकबा 4.65 व 1186 रकबा 0.90 वादीगण व प्रतिवादीगण को आवंटित हुयी थी जिसका शेष रकबा सिवायचक है। वादीगण ने उक्त वाद प्रतिवादीगण की आराजी को हडपने के लिये पेश किया है वर्तमान राजस्व मानचित्र में मौके व रेकार्ड अनुसार तरमीम की गयी है। अतः वाद सव्यय खारिज किया जावे। शेष प्रतिवादीगण प्रकरण में बावजूद तामीली अनुपरिस्थत रहे।

वाद पत्र व जवाब के अनुसार प्रकरण में निम्न तनकियात कायम की गयी :–

1. आया आराजी मुतनाजा वादीगण के पूर्वजो को विधिवत नियमनशुदा है ?
   –– वादीगण

2. आया आराजी मुतनाजा का वर्तमान इन्द्राज व राजस्व मानचित्र त्रुटिपूर्ण होने से वादीगण दुरुस्ती के अधिकारी है ?
   –– वादीगण

3. आया आराजी मुतनाजा का राजस्व रेकार्ड व मानचित्र सही होने के कारण वाद खारिज योग्य है ?
   –– प्रतिवादीगण

4. अनुतोष ?

—3

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.07 10:27:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

Scanned by CamScanner

अधिवक्ता वादीगण ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख पेश किये तथा वादी नाथी पुत्री फकीरा, लक्ष्मी पत्नी फकीरा व गंगाराम पुत्र सुजा के बयान दर्ज करवाये।

अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने रोडी पत्नी देवाराम व हरजीनाथ पुत्र छोगानाथ के बयान करवाये। राज0 पैरोकार ने साक्ष्य नही पेश की।

उभयपक्ष की सहमती से प्रकरण में मौका रिपोर्ट तलब की गयी।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी। दौराने बहस उभयपक्ष अधिवक्ता ने जाहिर किया कि वादी व प्रतिवादीगण को आराजी मुतनाजा पर उतर से दक्षिण दिशा की तरफ तीन भाग करते हुये खातेदार दर्ज किये जने पर उभयपक्ष को कोई आपत्ति नही है।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्तागण व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया। तनकी अनुसार निर्णय निम्नवत् है :–

तनकी संख्या 1 :–

वादी द्वारा प्रस्तुत राजस्व अभिलेख, साक्ष्य व राज0 पैरोकार के जवाब अनुसार वर्किंग खसरा नम्बर 813 का कुल रकबा 34–0–0 था जिसमें से 10–0–0 भूमि वादीगण के पूर्वज को 10–0–0 भूमि नाथू पुत्र नाहरा व 10–0–0 भूमि मोहन पुत्र नन्दा को आवंटित की गयी। शेष 04–05–00 भूमि सिवायचक है। उक्त आराजी के आवंटन का नोट तत्कालीन वर्किंग जमाबंदी में अंकित है। वादीगण के पूर्वज सुजा पुत्र बक्षा की मृत्यु के बाद उक्त आराजी सुजा के दो पुत्र फकीरा व गंगाराम के नाम नामान्तकरण संख्या 192 दिनांक 22.3.2000 के द्वारा दर्ज हुई जिसमें प्रत्येक का 1/2 हिस्सा दर्ज किया गया। उक्त आराजी पर वर्किंग जमाबंदी में वादी संख्या 1 व 2 के पति/पिता फकीरा व वादी संख्या 3 गंगाराम द्वारा बैंक से ऋण भी लिया गया। जो नामान्तकरण संख्या 246/29.07.02 द्वारा दर्ज है। इस प्रकार स्पष्ट है कि वर्किंग जमाबंदी में उक्त आराजी वादीगण/पूर्वज के नाम विधिवत तरीके से दर्ज थी। वादीगण द्वारा इसके समर्थन में नामान्तकरण भी पेश किये है जो वादीगण के कथनों की ताईद करते है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत खसरा गिरदारी व मौका रिपोर्ट से भी वादीगण के उक्त खसरा नम्बर पर कब्जे की पुष्टि होती है। उक्तानुसार वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य व दस्तावेज से स्पष्ट है कि आराजी मुतनाजा का विधिवत आवंटन सुजा पुत्र बक्षा को हुआ है। वादीगण के पूर्वज को उक्त आराजी के आवंटन को सक्षम न्यायालय में चुनौती देने अथवा आवंटन निरस्त बाबत कोई दस्तावेज राज0 पैरोकार ने प्रस्तुत नही किया है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि भूमि का आवंटन होने के बाद जब तक किसी न्यायालय द्वारा उक्त आवंटन को निरस्त नही किया जाता तब तक आवंटन वैध होता है चाहे उक्त आवंटन की राजस्व अभिलेख में पालना की गयी हो अथवा नही। प्रस्तुत प्रकरण में आवंटन की पालना वर्किंग जमाबंदी में विधिवत तरीके से की गयी है। तनकी बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 2 व 3 :–

तनकी संख्या 1 के विवेचन अनुसार चौसाला खसरा नम्बर 813 वर्किंग खसरा नम्बर 1312 रकबा 10–00–00 भूमि का आवंटन वादी के पूर्वज को विधिवत किया गया। वर्किंग खसरा नम्बर 1312 के हाल खसरा नम्बर 1186 रकबा 0.90 व 1187 रकबा 4.65 बने है जिसमें से खसरा नम्बर 1187 के तीन भाग बनाये गये है खसरा नम्बर 1187/2293 रकबा 1.62 रोडी देवी पत्नी देवा के नाम खसरा नम्बर 1187 /2294 रकबा 1.62 मोहन पुत्र नन्दा के वारिस के नाम दर्ज है। वादीगण के हिस्से की 10–0–0 भूमि बंदोबस्त विभाग ने वादीगण/पूर्वज के नाम दर्ज करने के बजाय त्रुटिपूर्ण [illegible] दर्ज कर दी साथ ही हाल खसरा नम्बर 1187 व उसके तीन भाग को राजस्व मानचित्र [illegible] पश्चिम की ओर तीन भाग में अंकित कर दिया जाबकि वादीगण का कथन है कि [illegible] 1187 के तीन भाग उत्तर से दक्षिण दिशा की तरफ लम्बे होने चाहिये [illegible] मौका रिपोर्ट [illegible]गण का कब्जा उक्त आराजी पर सिद्ध होता है। तनकी संख्या 1 के विवेचन [illegible] 10–0–0 आराजी पर खातेदारी भी प्राप्त करने के अधिकारी है। किन्तु राजस्व मानचित्र में [illegible] खसरा नम्बर 1187 की स्थिति त्रुटिपूर्ण अंकित होने से दुरूस्ती न्यायोचित है। प्रतिवादीगण ने अपने जवाब के खण्डन में कोई ठोस

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.07 10:27:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

दस्तावेज व साक्ष्य पेश नही की है। जबकि वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य, दस्तावेज व मौका रिपोर्ट से वाद के कथनों की पुष्टि होती है। उक्तानुसार तनकी बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

उक्तानुसार ग्राम मण्डियानी के हाल खसरा नम्बर 1186 रकबा 0.90 व 1187 रकबा 4.65 की आराजी पर वादीगण का वाद "**स्वीकार**" किया जाता है। वादीगण को हाल खसरा नम्बर 1187 में से 1.62 भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है। खसरा नम्बर 1187/2293 रकबा 1.62 की आराजी प्रतिवादी संख्या 9 की खसरा नम्बर 1187/2294 रकबा 1.62 की आराजी प्रतिवादी संख्या 2 से 8 की पूर्व अनुसार रहेगी। हाल खसरा नम्बर 1186 रकबा 0.90 में से 0.11 रकबा 1187 में मिलाकर खसरा नम्बर 1186 का शेष रकबा 0.79 सिवायचक दर्ज होगा। राजस्व मानचित्र में हाल खसरा नम्बर 1187/2293 रकबा 1.62 (प्रतिवादी संख्या 9 की खातेदारी) को उतर से दक्षिण दिशा में लम्बवत पश्चिम दिशा की तरफ उसके बाद खसरा नम्बर 1187 रकबा 1.62 उतर से दक्षिण दिशा में लम्बवत (वादीगण की खातेदारी) व उसके पश्चात खसरा नम्बर 1187/2294 रकबा 1.62 (प्रतिवादी संख्या 2 से 8 की खातेदारी) उतर दिशा से दक्षिण दिशा में लम्बवत खसरा नम्बर 1187 के समीप तथा उसके पश्चात खसरा नम्बर 1186 रकबा 0.79 उतर से दक्षिण दिशा में लम्बवत पूर्व दिशा में अंकित करते हुये मानचित्र में तरमीम की जावे। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख व मानचित्र में अमल दरामद की कार्यवाही कर पक्षकारों का सीमाज्ञान कर कब्जा सुपुर्द करे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.07 10:27:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

लक्ष्मी बनाम राज0 सरकार

दावा बाबत :– 88, 188, 92ए राज. का. अधि0 1955 एवं 136 व 131 भू राज. अधि. 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर – 39/2020
पेश करने की दिनांक – 30.06.20

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू राकेश कुमार गुप्ता (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक नितेश यादव मुद्दई सरताराम रावत , राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम मण्डियानी के हाल खसरा नम्बर 1186 रकबा 0.90 व 1187 रकबा 4.65 की आराजी पर वादीगण का वाद "**स्वीकार**" किया जाता है। वादीगण को हाल खसरा नम्बर 1187 में से 1.62 भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है। खसरा नम्बर 1187/2293 रकबा 1.62 की आराजी प्रतिवादी संख्या 9 की खसरा नम्बर 1187/2294 रकबा 1.62 की आराजी प्रतिवादी संख्या 2 से 8 की पूर्व अनुसार रहेगी। हाल खसरा नम्बर 1186 रकबा 0.90 में से 0.11 रकबा 1187 में मिलाकर खसरा नम्बर 1186 का शेष रकबा 0.79 सिवायचक दर्ज होगा। राजस्व मानचित्र में हाल खसरा नम्बर 1187/2293 रकबा 1.62 (प्रतिवादी संख्या 9 की खातेदारी) को उत्तर से दक्षिण दिशा में लम्बवत पश्चिम दिशा की तरफ उसके बाद खसरा नम्बर 1187 रकबा 1.62 उत्तर से दक्षिण दिशा में लम्बवत (वादीगण की खातेदारी) व उसके पश्चात खसरा नम्बर 1187/2294 रकबा 1.62 (प्रतिवादी संख्या 2 से 8 की खातेदारी) उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा में लम्बवत खसरा नम्बर 1187 के समीप तथा उसके पश्चात खसरा नम्बर 1186 रकबा 0.79 उत्तर से दक्षिण दिशा में लम्बवत पूर्व दिशा में अंकित करते हुये मानचित्र में तरमीम की जावे। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख व मानचित्र में अमल दरामद की कार्यवाही कर पक्षकारों का सीमाज्ञान कर कब्जा सुपुर्द करे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 25 माह 11 सन् 2021 को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.07 10:27:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Scanned by CamScanner